

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनामार्फत डाकव्यय की पूर्ण अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



मान. मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग

(अनूप मिश्रा)  
मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग  
जय कंठकार, जन विकास विभाग, मन्त्री उच्च  
शिक्षा (म.प्र.)

# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 जनवरी 2008—पृष्ठ 13, शक 1929

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2008

आर क्र. 1016-सीसी-07-अद्वितीय.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) के धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित विभाग बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2008" है.

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएँ.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007);

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 36 के अधीन स्थापित वित्तियामक आयोग;

(ग) "उच्च शिक्षा विभाग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग;

(घ) "निजी विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन निर्गमित निजी विश्वविद्यालय;

(ङ) "विनियम" से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाए गए विनियम;

(च) "प्रायोजी निकाय" से अभिप्रेत है, धारा 2 के खण्ड (ग क) में यथापरिभाषित प्रायोजी निकाय;

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;

- (ज) "कुलाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, धारा 2 के खण्ड (य झ) में यथापरिभाषित निजी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष;
- (ख) उन "शब्दों तथा अभिव्यक्तियों" का, जो प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है.
3. स्थापना हेतु आवेदन.—(1) निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए इच्छुक प्रायोजी निकाय विनियामक आयोग को उपाबंध "क" के रूप में विहित प्ररूप में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा.
- (2) आवेदन, प्रायोजी निकाय की ओर से लिखतों को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा.
- (3) आवेदन के साथ रुपये 1,00,000/- (१. एक लाख मात्र) की आवेदन फीस "मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम पर रेखांकित एकाउंट पेयि ड्राफ्ट के माध्यम से जो भोपाल में देय होगा, भेजना होगा.
- (4) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये आवेदन के साथ एक परियोजना रिपोर्ट संलग्न करनी होगी.
- (5) प्रायोजी निकाय द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सम्यक् अभिरत्वांकृति विनियामक आयोग द्वारा दी जाएगी.
4. विन्यास निधि की स्थापना.—(1) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए इच्छुक प्रायोजी निकाय द्वारा अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन यथाउपबंधित आशय पत्र प्राप्त होने के पश्चात् एक विन्यास निधि की स्थापना की जाएगी.
- (2) विन्यास निधि विहित प्ररूप उपाबंध "ख" में "मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम रेखांकित एकाउंट पेयि ड्राफ्ट जो भोपाल में देय होगा, के माध्यम से प्रायोजी निकाय के हस्ताक्षर से विनियामक आयोग की निधि में निक्षेप की जाएगी तथा आयोग द्वारा उपाबंध "ग" में यथाविहित प्ररूप में प्राप्ति का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा.
5. विन्यास निधि का विनियोजन.—(1) विनियामक आयोग, निधि की तरतता, उसकी सुरक्षा तथा लाभदायकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए, विन्यास निधि का किसी अनुसूचित बैंक में संचालित चमा के रूप में विनियोजन करेगा.
- (2) विनियोजन से प्राप्त आगम का उपयोग आयोग अपने कृत्यों को करने के लिए कर सकेगा.
6. विन्यास निधि से आय.—(1) विनियामक आयोग, प्रायोजी निकाय को विन्यास निधि की रकम पर व्याज का संदाय उस दर पर करेगा जिस पर विचाराधीन कालावधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक, बचत बैंक खाते पर देय व्याज दर पर देय होता है.
- (2) विन्यास निधि से प्राप्त आय किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक संयुक्त बचत खाता खोलकर जमा की जावेगी. संयुक्त खाता प्रायोजी निकाय तथा "मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम से होगा.
- (3) विन्यास निधि से आय को ऐसे किसी फोरियर में विनिहित नहीं किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रायोजी निकाय से संबंधित हो. इस आय का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए ही किया जाएगा.
7. विन्यास निधि का समाप्त किया जाना.—(1) आयोग या अन्यथा की रिपोर्ट पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उसे अधिनियम की धारा 40 या 41 के उपबंधों के अनुसार उचित उपायों को निर्दिष्ट करना आवश्यक हो गया है तो इस संबंध में वह संबंधित निजी विश्वविद्यालय के प्रायोजी निकाय को इस विन्यास निधि पर आय सहित विन्यास निधि के किसी अंश या सम्पूर्ण निधि, यदि कोई हो, को समाप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के उपबंधों को क्रियान्वित करने हेतु उसे कारण बताओ सूचना जारी करेगा.
- (2) प्रायोजी निकाय विन्यास निधि को समाप्त करने हेतु जारी किये गये कारण बताओ सूचना का उत्तर उसकी प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर देगा.

(3) सूचना के प्राप्त होने के पश्चात्, यदि प्रायोजी निकाय विहित कालावधि के भीतर उत्तर देने में असफल रहती है, तो आयोजी विन्यास निधि को समपद्धत करने की अनुज्ञा हेतु राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगी तथा अनुज्ञा प्राप्त होने के पश्चात् विन्यास निधि समपद्धत हो जाएगी और सरकारी खजाने में शीर्ष 01- सामान्य शिक्षा (1) 0202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (103)-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा (0662) के अधीन जमा की जाएगी।

8. विन्यास निधि और उससे प्राप्त आय का प्रतिदाय.—(1) यदि प्रायोजी निकाय अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित निजी विश्वविद्यालय को किन्हीं कारणों से या ऐसी परिस्थितियों के कारण जो उसके नियंत्रण में नहीं है, से विघटित करने या बंद करने का प्रस्ताव करता है, तो प्रायोजी निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि विश्वविद्यालय में भर्ती किया गया कोई भी विद्यार्थी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा। प्रायोजी निकाय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा कराने, परीक्षा संचालन कराने तथा उसके आधार पर उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाण-पत्र आदि देने की संपूर्ण योजना भी विनियामक आयोग को प्रस्तुत करना होगी। विनियामक आयोग पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर कि प्रायोजी निकाय ने इस प्रकार प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार विद्यार्थियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर लिया है, विनियामक आयोग प्रायोजी निकाय से इस आशय के शपथ-पत्र में कथित करते हुए प्रस्तुत करने को कहेगा कि प्रायोजी निकाय की राज्य सरकार, विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। शपथ-पत्र प्राप्त होने पर विनियामक आयोग उसमें कथित तथ्यों का परीक्षण करेगा। संतुष्ट होने के पश्चात् कि शपथ-पत्र में दिए गए तथ्य सही हैं विनियामक आयोग विन्यास निधि तथा उस पर प्राप्त आय आदि कोई हो, प्रायोजी निकाय को वापस करेगा।

(2) विनियामक आयोग, प्रायोजी निकाय द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्र का परीक्षण करेगा और शपथ-पत्र में उल्लिखित तथ्यों से असहमति की दशा में विनियामक आयोग विन्यास निधि और उससे प्राप्त आय के एंसे अंश को, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, रोककर रखेगा और उस समय तक वापस नहीं करेगा जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि प्रायोजी निकाय को राज्य सरकार, विद्यार्थियों और निजी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के प्रति अब कोई दायित्व नहीं है तथा निजी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा का संचालन कराने तथा इनके आधार पर विद्यार्थियों को उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाण-पत्र आदि देने की व्यवस्था कर ली गई है :

परन्तु जहाँ अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार आशय-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के आशय से किसी प्रायोजी निकाय ने विन्यास निधि को रकम विनियामक आयोग को निधि में निक्षेप कर दी गई है तथा जहाँ विनियामक आयोग का इस बात से समाधान हो जाता है कि अधिनियम की धारा 8 के अनुसार निजी विश्वविद्यालय को स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को वह उन लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुमोदित नहीं कर सकता और इसलिए इस स्थिति में नहीं है कि राज्य सरकार को यह सलाह दे कि अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की जाती है, तो विनियामक आयोग विन्यास निधि को रकम और उससे प्राप्त आय का प्रायोजी निकाय यदि कोई हो, को प्रतिदाय करेगा,

9. फीस निक्षेप करने की प्रक्रिया.—(1) प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय छात्रों से संगृहीत की गई फीस का वह अंश जो अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों के अधीन देना हो रेखांकित एकावन्तधेयी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक, के माध्यम से जो "मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम से, भोपाल में देय हो, उपबंध "घ" में यथाविहित प्ररूप में जमा किया जाएगा।

(2) विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त फीस की रकम 15 दिन के भीतर कोषालय में शीर्ष "(01) सामान्य शिक्षा (1) 0202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, 103-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (0662) निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्तियाँ" के अधीन जमा करेगा और जिसकी जानकारी उपबंध "घ" में यथाविहित प्ररूप में रखी जाएगी और उसकी एक प्रति प्रायोजी निकाय को परेषित की जाएगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन निजी विश्वविद्यालयों से संगृहीत की गई और शासकीय कोषालय में निक्षेप की गई फीस तथा राण्डिक व्याज, यदि कोई हो, जो अभिलेखित किया गया हो और शासकीय कोषालय में निक्षेप किया गया हो और इस संबंध में अन्य सुसंगत जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विनियामक आयोग के कार्यालय में रखी जाएगी। राण्डिक व्याज की जानकारी उपबंध-घ में यथाविहित प्ररूप में रखी जाएगी।

10. विनियामक आयोग की स्थापना.—(1) निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अनुसार, कृत्य करेगा।

(2) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा।

11. विनियामक आयोग के कृत्य.—(1) विनियामक आयोग, अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (8) में यथा अधिकथित समस्त कृत्यों के साथ ही ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जैसा कि वह अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में अधिकथित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित समझे।

(2) निजी विश्वविद्यालयों तथा निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं से संबंधित कोई अन्य ऐसे मामले जो कि राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं।

12. विनियम बनाने की शक्ति.—(1) आयोग अपने कृत्यों का पालन करने के लिए तथा आयोग के प्रशासन और प्रबंधन के लिए विनियम के रूप में प्रक्रिया अधिकथित करेगा।

(2) जब तक इन नियमों में यथाउपबंधित विनियम बना नहीं जाते तब तक विनियामक आयोग, आयोग के प्रशासन और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी प्रक्रिया अंगीकृत कर सकेगा या ऐसी प्रक्रिया बना सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

13. कुलाध्यक्ष का सामान्य नियंत्रण—(1) विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) कुलाध्यक्ष, विनियामक आयोग के सामान्य नियंत्रण के उसके कर्तव्यों के पालन में विनियामक आयोग के क्रियाकलापों से संबंधित कोई भी कमाज, पत्र या जानकारी, कारणों को लेखबद्ध करते हुए मांग सकेगा तथा उस आधार पर लिखित आदेश द्वारा विनियामक आयोग को ऐसे निदेश देगा।

(3) कुलाध्यक्ष, कोई निदेश जारी करने के पूर्व आयोग के विचार मांग सकेगा तथा किसी मामले में कोई निदेश देने के पूर्व व्यक्तिगत प्रस्तुत करने के लिए भी निदेश दे सकेगा।

14. सभापति (चेयरमैन) की सेवा के निबंधन तथा शर्तें.—(1) (क) सभापति (चेयरमैन) या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(ख) कोई व्यक्ति जो सभापति (चेयरमैन) या सदस्य के रूप में पद धारण करता है, आगामी एक और अवधि के लिए नियुक्ति का पात्र होगा।

(ग) कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अधिनियम के अधीन स्थापित निजी विश्वविद्यालय में या मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थापित किसी निजी विश्वविद्यालय में पद धारण किया या किया है, वह सभापति (चेयरमैन) या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(3) सभापति (चेयरमैन) या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य कुलाध्यक्ष को संबोधित किये गये अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा तथा उस त्याग-पत्र की प्रति उच्च शिक्षा विभाग को अर्पित करेगा।

(4) यदि किसी समय किसी अभ्यावेदन के आधार पर या अन्यथा कुलाध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि सभापति (चेयरमैन) अथवा सदस्य ने,—

(क) अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किए गये किसी कर्तव्य के पालन में चूक की है; या

(ख) विनियामक आयोग के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या

(ग) वह विनियामक आयोग के कार्यों का प्रबंधन करने में अक्षम है, तो कुलाध्यक्ष, इस तथ्य के होते हुए भी कि उसके कार्यकाल की अवधि समाप्त नहीं हुई है, लिखित में आदेश द्वारा उसमें कारणों को अभिलिखित करते हुए, सभापति (चेयरमैन)/सदस्य को ऐसी तारीख से, जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद त्याग देने की अपेक्षा कर सकेगा:

परन्तु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उन आधारों की विशिष्टियों पर, जिन पर सभापति (चेयरमैन) को, ऐसी कार्यवाई संसूचित की जाना प्रस्तावित है तथा उसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।

(5) उपपारा (4) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से, सभापति (चेयरमेन) या सदस्य उनका पद त्याग दिए गए समझे जाएंगे और सभापति (चेयरमेन) या सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

(6) यदि सभापति (चेयरमेन) या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति, चाहे मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्यथा के कारण होती है, तो रिक्तियां नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी:

परन्तु शिक्षा विभाग, कुलाध्यक्ष के परामर्श से सभापति (चेयरमेन) के पद की आकस्मिक रिक्ति किसी पूर्णकालिक सदस्य को दो मास से अनधिक के लिए नियुक्त करके भर रावेगा।

(7) सभापति (चेयरमेन) के छुट्टी, सजता या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित रहने के दौरान सभापति (चेयरमेन) द्वारा नामनिर्दिष्ट पूर्णकालिक सदस्य सभापति (चेयरमेन) के कृत्यों एवं कर्तव्य का निर्वहन करेगा।

(8) सभापति (चेयरमेन)के साथ ही समस्त पूर्णकालिक सदस्यों का यह पूर्णकालिक तथा वैतनिक होगा।

(9) पूर्णकालिक सदस्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो सभापति (चेयरमेन) द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे जाएं,

(10) सभापति (चेयरमेन) रुपये 25,000/- प्रतिमास का समेकित वेतन, पेंशन को विचार में लिए बिना प्राप्त करेगा तथा उसे पेंशन के समतुल्य उपदान (ग्रेजुटी) अनुज्ञेय होगा :

परन्तु यदि सभापति (चेयरमेन) को कोई पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है तो वह वित्त विभाग द्वारा विहित वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा तथा उसे राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी की समय-समय पर देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुज्ञेय होंगे।

(11) सभापति (चेयरमेन) को विनियामक आयोग के मुख्यालय पर निःशुल्क साज-सज्जा युक्त आवास की पात्रता होगी सरकार द्वारा उपलब्ध वास सुविधा का रख-रखाव राज्य शासन द्वारा किए जाएगा।

(12) सभापति (चेयरमेन) को एक ड्रायवर के साथ एक कार, कार्यालय में तथा उसके निवास पर ए.स.टी.डी. सुविधा सहित दूरभाष उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(13) पूर्णकालिक सदस्य, वित्त विभाग द्वारा यथाविहित समेकित वेतन, पेंशन तथा पेंशन को विचार में लिए बिना प्राप्त करेगा, पेंशन के समतुल्य उपदान भी उसे अनुज्ञेय होगा:

परन्तु यदि किसी सदस्य को पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो तो वह वित्त विभाग द्वारा यथा विहित वेतन के साथ राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते का पात्र होगा।

(14) पूर्णकालिक सदस्य को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय मकान भाड़ा भत्ता की पात्रता होगी और इसके साथ ही कार्यालय तथा उसके निवास पर ए.स.टी.डी. सुविधा सहित दूरभाष की भी पात्रता होगी।

(15) सभापति (चेयरमेन) तथा पूर्णकालिक सदस्यों को एक कलेंडर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश तथा एक मास के अर्जित अवकाश/चिकित्सीय अवकाश की पात्रता होगी। सभापति (चेयरमेन) तथा पूर्णकालिक सदस्यों के अवकाश का अधिकार, विनियामक आयोग के कार्यालय में रखा जायेगा।

(16) विनियामक आयोग या शासन के कार्यों के लिए यात्रा के दौरान सभापति (चेयरमेन) और पूर्णकालिक सदस्य, वित्त विभाग द्वारा यथा विहित उदरने हेतु प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय तथा सभू दर से सभू भत्ता तथा मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(17) सभापति (चेयरमेन) तथा पूर्णकालिक सदस्य ऐसे चिकित्सीय लागों को प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसे कि राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय हों या उसके बदले ऐसे गेडि-क्लम के लिए हकदार होंगे जैसे कि शिक्षा विभाग द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(18) सभापति (चेयरमेन) तथा पूर्णकालिक सदस्यों को विनियामक आयोग से कोई सेवानिवृत्ति सुविधाएं जैसे पेंशन, उपदान या दौनों प्राप्त नहीं होंगे।

(19) अंशकालिक सदस्य, रुपये 1000/- (रुपये एक हजार) प्रतिदिन बँटक फोन तथा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए लागू दरों से यात्रा भत्ता तथा इसके अतिरिक्त कर्तव्य पर व्यतीत की गई कालावधि के लिए वित्त विभाग द्वारा विहित की गई उठरने के लिए प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

15. आयोग का सम्मिलन.—(1) विनियामक आयोग ऐसे समय तथा स्थान पर सम्मिलन करेगा, जैसा कि सभापति (चेयरमेन) द्वारा विनिश्चय किया जाए।

(2) सभापति (चेयरमेन) और उसको अनुपस्थिति में आयोग के अध्यक्षता पूर्णकालिक सदस्य/अंशकालिक सदस्य आयोग के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेंगे।

(3) वे समस्त प्रश्न जो आयोग के किसी सम्मिलन में लाए जाएं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे:

परन्तु यदि कोई भी सदस्य नियुक्त नहीं हुआ है, तो सभापति (चेयरमेन) आख्यापक आदेश/संकल्प पारित करके प्रश्नों को विनिश्चित करेगा:

परन्तु यह और कि यदि सम्मिलन में सभापति (चेयरमेन) और केवल एक सदस्य उपस्थित है तो विनिश्चय सभापति (चेयरमेन) द्वारा आख्यापित आदेश/संकल्प जारी करके सम्मिलन में उपस्थित सदस्य के विचारों को अभिलिखित करने के पश्चात् किया जायेगा।

(4) विनियामक आयोग के प्रत्येक सम्मिलन का कार्यान्वित आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों में से एक सदस्य द्वारा या सभापति (चेयरमेन) द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किए गए आयोग के किसी अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा। कार्यवृत्त सभापति (चेयरमेन)/सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा, विधिमाम्य किया जायेगा तथा विनियामक आयोग के स्थानो अभिलेख के रूप में रखा जायेगा।

16. सक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमाम्य न होना.—आयोग द्वारा किया गया कोई कार्य या उसके द्वारा की गई कोई कार्रवाई केवल इस कारण अविधिमाम्य नहीं होगी कि,—

- (क) आयोग में कोई सक्ति है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है; या
- (ख) आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
- (ग) आयोग की प्रक्रिया में कोई अनियमितता, यदि वह मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

17. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन.—(1) विनियामक आयोग स्वयं किसी भी व्यक्ति को, जिसकी सहायता या सलाह वह अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के क्रियान्वयन के लिये चाहता है, अपने साथ सहयोजित कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आयोग द्वारा उपरोक्त किसी भी प्रयोजन के लिए सहयोजित किया गया कोई व्यक्ति, आयोग द्वारा, उस प्रयोजन के लिए सुसंगत चर्चाओं में या आयोग के किसी सम्मिलन में जिसमें सुसंगत प्रयोजन आयोग के सम्मिलन के एजेण्डा मद के रूप में सम्मिलित है, में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा किन्तु ऐसे व्यक्ति को आयोग के सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

(3) इन नियमों के प्रयोजन के लिए आयोग से सहयोजित व्यक्ति को रु. 1000/- (एक हजार रुपये) प्रतिदिन बँटक फोन के रूप में तथा यात्रा भत्ता राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी को अनुज्ञेय और लागू दर से दिया जाएगा।

18. विनियामक आयोग के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधिप्रमाणिकरण.—(1) आयोग के समस्त आदेश तथा विनिश्चय, सचिव और सचिव को नियुक्ति होने तक सभापति (चेयरमेन) या सभापति (चेयरमेन) द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किये जावेंगे।

(2) आयोग द्वारा जारी की गई समस्त अन्य लिखतें सचिव और सचिव को नियुक्ति होने तक सभापति (चेयरमेन) या सभापति (चेयरमेन) द्वारा इस निमित्त में इसी रीति में प्राधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी।

19. आयोग को भुगतान.—मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन किए जाने के पश्चात् विनियामक आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी राशि का जो कि अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के पालन के लिए जैसा कि आवश्यक समझा जाए भुगतान करेगी।

20. विनियामक आयोग की निधि.—(1) विनियामक आयोग की अपनी स्वयं की निधि होगी और ऐसी समस्त राशियां जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, संदत्त की जाये तथा निजी महाविद्यालय/संस्थानों से संगृहीत/प्राप्त फीस तथा आयोग की समस्त प्राप्तियां (जिनमें विन्यास निधि, अतिरिक्त निधि तथा कोई भी ऐसी राशि सम्मिलित होगी जो किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा आयोग को सौंपी जायें) निधि में रखी जाएंगी तथा आयोग को समस्त भुगतान उसी में से किए जाएंगे।

(2) निधि का समस्त धन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में जमा किया जाएगा।

(3) आयोग अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि जो कि वह उचित समझे खर्च कर सकेगा और ऐसी राशियां विनियामक आयोग की निधि से संदेय व्यय के रूप में मानी जावेगी। निधि प्रत्येक वर्ष संपरीक्षित करवाई जाएगी।

21. बजट.—विनियामक आयोग प्रतिवर्ष ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर जैसा कि आयोग विनिश्चित करे, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में, प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शाते हुए बजट तैयार करेगा तथा उसकी प्रतिलिपियां, उच्च शिक्षा विभाग को राज्य विधान सभा द्वारा सम्यक् विनियोग प्राप्त करने की दृष्टि से अग्रेषित की जाएंगी और तत्पश्चात् विनियामक आयोग को समुचित राशियों के भुगतान को संपरीक्षित किया जाएगा तथा लेखाओं के अभिलेख नियम, 19 में विहित किए गए अनुसार रखे जाएंगे।

22. वार्षिक रिपोर्ट.—विनियामक आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर जैसा कि आयोग विनिश्चित करे, एक वार्षिक रिपोर्ट जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान के उसके क्रियाकलापों का सही और पूर्ण लेखा देते हुए तैयार करेगा तथा उसकी प्रतिलिपि उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगा।

23. लेखा तथा संपरीक्षा.—(1) विनियामक आयोग अपने लेखा के संबंध में ऐसी लेखा पुरतकों तथा अन्य लेखाओं को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में जैसा कि आयोग/राज्य सरकार अवधारित करे, रखवायेगा।

(2) विनियामक आयोग अपनी वार्षिक लेखाओं को रद्द करने के पश्चात् नगण्य लेखाओं का विवरण ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख तक तैयार करेगा, जैसा कि विनियामक आयोग अवधारित करे।

(3) विनियामक आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात् की जायेगी।

(4) विनियामक आयोग की लेखा जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया है, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित की जायेगी तथा उच्च शिक्षा विभाग उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगा।

24. विनियामक आयोग के कर्मचारिकृन्द, उनकी वास-सुविधा तथा अन्य सुविधाएं.—(1) विनियामक आयोग ऐसी संख्या में अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त पर या अन्यथा नियुक्त करेगा जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके (आयोग) के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(2) विनियामक आयोग उसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विनिश्चय करेगा तथा तदनुसार वास-सुविधा, उपस्कर तथा अन्य सुविधाएं जो वह आवश्यक समझे, अर्जित करेगा।

25. कठिनाई दूर करने की शक्ति.—यदि इन नियमों के उपबंधों को या ऐसे विषयों का जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, प्रभावशाली करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, आयोग की सिफारिश पर, राजपत्र में ऐसे आदेश के प्रकाशन द्वारा जो अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसी कठिनाई दूर कर सकेगी।

26. निरसन तथा च्वावृत्ति.—ऐसे समस्त नियम, आदेश परिपत्र तथा संकल्प, यदि कोई हों, जो इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं :

(F) परन्तु इस प्रकार निरसित नियम, आदेश, परिपत्र तथा संकल्प के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

## उपाबंध-क

मध्यप्रदेश राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए आवेदन का फार्मेट

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 4 में दिए गए उपबंधों के अधीन:

- (01) प्रायोच्ची निकाय का व्यौरा :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (क) नाम
  - (ख) पता
  - (ग) पिन कोड
  - (घ) दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित)
  - (ङ) फैक्स क्रमांक
  - (च) ई-पेज
- (02) प्रायोच्ची निकाय के रजिस्ट्रीकरण एवं उसके संविधान तथा उपविधियों का विवरण :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (क) प्रायोच्ची निकाय मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है; या
  - (ख) कोई सार्वजनिक न्यास है; या
  - (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है;
  - (घ) क्या प्रायोच्ची निकाय एक ऐसा निकाय है जो (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथा उपरोक्त किन्हीं व्यवस्थाओं के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है किन्तु तत्समय प्रवृत्त अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है? यदि हां तो उस अधिनियम के विवरण दें
  - (ङ) रजिस्ट्रीकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न करें;
  - (च) संविधान तथा उपविधियां संलग्न करें
- (03) प्रायोच्ची निकाय के विगत 03 वर्षों के संपरीक्षा लेखों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (04) प्रायोच्ची निकाय के वित्तीय संसाधन से संबंधित जानकारी :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (05) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (06) उस स्थान का पूरा पता जहां प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित किया जाना है :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (07) प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उद्देश्य :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)



- (08) क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालय, संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक दर्जे को मांग करेगा? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (09) क्या विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर किसी ऐसे क्षेत्र में अवस्थित होगा जो कि सामान्य क्षेत्र नहीं है :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (क) क्या स्थापित की जाने के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर किसी अनुसूचित क्षेत्र में होगा? यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें कि प्रस्तावित स्थान क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है ;
- (ख) क्या स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर नगर निगम के भीतर होगा? यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित स्थान नगर निगम के भीतर है.
- (10) प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उपयोग के लिए भूमि के विस्तृत ब्यौरे :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (क) विश्वविद्यालय के पूर्ण उपयोग के लिए भूमि के ब्यौरे, यदि आवेदन की तारीख को उपलब्ध हों.
- (एक) भूमि का स्वामित्व (आवश्यक समूह के साथ)  
(दो) भूमि का क्षेत्र  
(तीन) भूमि का नक्शा
- (ख) भूमि जो आशय-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अर्जित की जाएगी :-
- (एक) भूमि का स्वामित्व (आवश्यक समूह के साथ)  
(दो) भूमि का क्षेत्र  
(तीन) भूमि का नक्शा  
(चार) भूमि किससे अर्जित की जायेगी  
(पांच) भू-अर्जन करने हेतु वित्त व्यवस्था
- (11) (क) भवन निर्माण, संरचनात्मक सुविधाएं एवं वर्तमान अप्रोपरेशनल सुविधाओं का विकास;  
(ख) उपस्करों के उधापन हेतु योजना ;  
(ग) आगामी पांच वर्षों हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम की रूप रेखा.
- (12) आगामी पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के चरणबद्ध ब्यौरे तथा उसके विच के स्रोत :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (13) संकायों की प्रकृति ( नाम ) :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (क) संकायों का नाम जैसे:- विज्ञान, कला, जाणिय, विधि व्यावसायिक शिक्षा आदि.

- (घ) प्रत्येक संकाय के अधीन पाठ्यक्रम जैसे : स्नातक, स्नातकोत्तर और
- (ग) राज्य के विकास के गंदर्भ में प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता
- (घ) प्रत्येक पाठ्यक्रम में लक्षित छात्र संख्या
- (ङ) आश्ले 05 वर्षों हेतु पाठ्यक्रमों के लिये वाषण्ट प्रस्तावित कार्यक्रम
- (च) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए यह जानकारी दें कि क्या इसके प्रारंभ करने के लिये केन्द्रीय विनियामक निकाय या/ और राज्य विनियामक निकाय से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है? यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें यदि पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तो वे उपबंध वर्णित करते हुए ब्यौरे दें जिनके अधीन केन्द्र/राज्य अधिनियम में पूर्व अनुमोदन आवश्यक है.
- (14) प्रायोजी निकाय के अधीन संबंधित विद्या में पूर्व अनुभव तथा विशेषज्ञता (यदि कोई हो) :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (15) पाठ्यक्रमों एवं गवेषणा हेतु अपेक्षित शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (क) अध्यापन कर्मचारिवृन्द  
(ख) तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारिवृन्द  
(ग) उपस्कर तथा प्रयोगशाला
- (16) प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रमों पर व्यय के बारे में ब्यौरे :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (क) आवर्ती व्यय का प्राक्कलन  
(ख) वित्त के स्रोत  
(ग) प्रति विद्यार्थी प्राक्कलित व्यय.
- (17) संसाधनों को गतिमान करने हेतु स्कीम :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (क) पूंजी को लागत  
(ख) प्रतिसंदाय की रीति.
- (18) विभिन्न स्रोतों से आंतरिक रूप से कोष के निर्माण की स्कीम :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (क) छात्रों से फीस  
(ख) परामर्शी सेवार्थ  
(ग) निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित अन्य गतिविधियां.
- (19) विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित फीस छांचा, रिवाजत एवं छात्रवृत्तियां :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (क) सामान्य प्रवर्ग के लिए  
(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए  
(ग) अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए.
- (20) अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)

- (21) अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (22) शिक्षा देने का ढंग :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)  
(क) परम्परागत पद्धति,  
(ख) दूरवर्ती शिक्षा पद्धति  
(ग) उपरोक्त दोनों प्रकार
- (23) यदि दूरवर्ती शिक्षा प्रस्तावित है तो प्रस्तावित अध्ययन केन्द्रों के नाम तथा उनके च्यारि :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (24) स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित कार्यक्रम तथा विशिष्ट अध्यापन की प्रकृति प्रशिक्षण या गवेषणा गतिविधियों के च्यारि :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (25) विशेष रूप से इस राज्य में स्थित कुष्कों, महिलाओं तथा उद्योगों के लाभ हेतु कार्यक्रम :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (26) उपलब्ध या/प्रस्तावित अन्य सुविधाएं :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)  
(क) छात्रों (लड़के/लड़कियों) के लिए छात्रावास सुविधा  
(ख) खेल मैदान  
(ग) राष्ट्रीय कैंडेट कोर, स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय सेवा योजना आदि
- (27) राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रस्तावित परिसर का विवरण :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (28) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता के लिए औचित्य :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (29) यदि प्रायोजी निकाय द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तो स्थापना से संबंधित अधिसूचना का क्रमांक तारीख तथा पूर्वतर अधिनियम की अनुसूची 1 का अनुक्रमानक देते हुए ब्यारि दें. इसके साथ यह भी दर्शाएं कि क्या विन्यास निधि या/और अतिरिक्त निधि जमा की गई थी या जमा की है? यदि हां, तो सबूत के साथ सम्पूर्ण विशिष्टियां दें :  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)
- (30) आवेदन फॉस के च्यारि ( उल्लिखित करें )  
(विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन के भाग . . . . . में दी गई है)  
(क) रेखांकित मांगदेय ड्राफ्ट की रकम

- (ख) उस बैंक का नाम जिसने मांगदेय ड्राफ्ट जारी किया है;
- (ग) मांगदेय ड्राफ्ट का क्रमांक एवं तारीख ;
- (घ) मांगदेय ड्राफ्ट के पीछे की ओर प्रायोजी निकाय का नाम तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय के नाम का उल्लेख करें।

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17, सन् 2007) के उपबंधों के अधीन..... (प्रस्तावित विश्वविद्यालय के नाम का उल्लेख करें) की स्थापना के लिए उपरोक्त आवेदन, एतद्वारा ..... (प्रायोजी निकाय का नाम) की ओर से प्रस्तुत किया गया है. इस आवेदन के प्रत्येक बिन्दु को विस्तृत विशिष्टियां परियोजना प्रतिवेदन में दी गई हैं. विस्तृत जानकारी प्रत्येक बिन्दु पर निर्दिष्ट परियोजना प्रतिवेदन के भागों में देखी जा सकती है.

मैं प्रमाणित करता हूँ कि,—

- (क) मैं ..... (प्रायोजी निकाय का नाम) की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ.
- (ख) प्रायोजी निकाय ने ..... के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का इच्छा इस संबंध में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) में किश्वर समस्त उपबंधों तथा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये ऐसे अन्य नियमों का अनुसरण करने का संकल्प किया है और यह संकल्प भी किया है कि उन निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा जो मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे. (संबन्ध की प्रति उपाबंध में संलग्न की जाये).

स्थान : .....

हस्ताक्षर, .....

तारीख : .....

नाम एवं पदनाम .....

प्रायोजी निकाय का नाम .....

दो साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम एवं पता :—

(1) हस्ताक्षर

नाम

पता

(2) हस्ताक्षर

नाम

पता

निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु व्याख्यात्मक टोप.—(1) मध्यप्रदेश राज्य में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन करने से पूर्व कृपया मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) में किये गये उपबंधों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें.

(2) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कार्यालय से किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम तथा नियमों की प्रति रुपए 1000/- (एक हजार रुपए) का रेखांकित एकाउन्टपेयी ड्राफ्ट प्रस्तुत करके या रुपए 1050/- (एक हजार पचास रुपए) का रेखांकित ड्राफ्ट जो मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नाम से भोपाल में देय है, डाक द्वारा भेजकर प्राप्त की जा सकती है.

(3) प्रायोजी निकाय या उसका प्रतिनिधि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में विनियामक आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है. मार्गदर्शन सत्र समय निर्धारित करने के पश्चात् ही आयोजित किया जाएगा.

## उपाबंध-ख

## विन्यास निधि की स्थापना के लिए आवेदन

प्राप्त,

सभापति,  
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,  
भोपाल.

- (1) प्रयोजी निकाय के बारे में
  - (क) नाम
  - (ख) पता
  - (ग) पिन कोड
  - (घ) दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित)
  - (ङ) फैक्स क्रमांक
  - (च) ई-मेल
- (2) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम
- (3) उस स्थान का पूर्ण पता जहाँ प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित किया जाना है.
- (4) निजी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का स्थान :
  - (क) स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर क्या किसी अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित होगा? यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का समूत संलग्न करें कि प्रस्तावित स्थान क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है.
  - (ख) क्या स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर भोपाल नगर निगम सीमा के भीतर होगा? यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का समूत प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित स्थान भोपाल नगर निगम सीमा के भीतर है.
- (5) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की विन्यास निधि के बारे में (उल्लिखित करें) :
  - (क) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का नाम;
  - (ख) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के प्रयोजी निकाय का नाम;
  - (ग) अधिसूचना का क्रमांक तथा तारीख जिसके अधीन पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था ;
  - (घ) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के पूर्वतर अधिनियम की अनुसूची 1 में अनुक्रमांक ;

- (ड) क्या पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित था?
- (च) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की विन्यास निधि की रकम जो विनियामक आयोग के पास जमा है (बैंक की पे-इन-गिलप की फोटो प्रति संलग्न कर समूह दें);
- (छ) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परंतुक में तथा उपबंधित विन्यास निधि की वह शून्य रकम जो प्रायोजी निकाय द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की विन्यास निधि का समायोजन करने के पश्चात् जमा करना प्रस्तावित है, यह जानकारी केवल उन प्रायोजी निकायों द्वारा ही दी जाना है जिन्होंने पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किए थे अन्य प्रायोजी निकाय यहां निरंक जानकारी दे सकेंगे.

(6) विन्यास निधि का विवरण (उल्लिखित करें) :

- (क) विन्यास निधि की रकम;
- (ख) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक, उस बैंक का नाम, जिसमें उसकी शाखा का नाम, शाखा क्रमांक तथा शाखा का कोड सम्मिलित हैं, जिसने बैंक ड्राफ्ट जारी किया हो;
- (ग) बैंक ड्राफ्ट जारी करने की तारीख;
- (घ) उस व्यक्ति का नाम तथा पदनाम जिसने प्रायोजी निकाय की ओर से विन्यास निधि की रकम भेजी है;
- (ङ) मांगदेय ड्राफ्ट के पीछे, प्रायोजी निकाय तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय के नाम का वर्णन करें.

(7) विन्यास निधि से, प्राप्त आय जमा करने के लिए प्रायोजी निकाय के नाम से बचत खाता खोलने का सूचनः

- (क) उस अनुसूचित बैंक तथा उसकी शाखा का नाम जिसमें बचत खाता खोला गया है;
- (ख) वह रकम जिससे बचत बैंक खोला गया है (बैंक द्वारा जारी की गई जमा पर्ची की अभिप्रमाणित छायाप्रति उपाबंध के रूप में संलग्न करें);
- (ग) उस व्यक्ति का नाम तथा पदनाम जो कि प्रायोजी निकाय की ओर से बचत बैंक खाते का संचालन करेगा;
- (घ) बचत बैंक खाता क्रमांक तथा इस खाते के प्रारंभ करने की तारीख.

(8) आशय पत्र का विवरण (उल्लिखित करें)

- (क) जारी करने का क्रमांक तथा तारीख;
- (ख) प्रायोजी निकाय द्वारा प्राप्त होने की तारीख;
- (ग) आशय-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें.

(9) विन्यास निधि की स्थापना के संदर्भ में कोई अन्य जानकारी जो प्रायोजी निकाय देना चाहे या कोई निवेदन जो प्रायोजी निकाय, विन्यास निधि की स्थापना के संदर्भ में करना चाहे.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17, सन् 2007) के उपबंधों के अधीन .....  
(प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम उल्लिखित करें) के लिए विन्यास की स्थापना हेतु उपरोक्त आवेदन-पत्र .....  
(प्रायोजी निकाय का नाम) की ओर से एतद्द्वारा प्रस्तुत किया जाता है.

में प्रमाणित करता हूँ कि:—

- (क) मुझे .....(प्रायोजी निकाय का नाम) .....की ओर से विन्यास निधि की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.
- (ख) प्रायोजी निकाय ने यह संकल्प किया है कि .....के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा तथा रूपए (अंकों में) ..... (शब्दों में) ..... विन्यास निधि के रूप में जमा करेगा तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)-अधिनियम, -2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) में किए गए सम्स्त उपबंधों के संबंध में तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गये ऐसे अन्य उपबंधों का पालन किया जाएगा और यह भी संकल्प किया है कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पालन किया जाएगा (संकल्प की प्रति उपाबंध के रूप में संलग्न करें).

स्थान : .....

हस्ताक्षर .....

तारीख : .....

नाम तथा पदनाम .....

प्रायोजी निकाय का नाम .....

दो साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम एवं पता :-

- (1) हस्ताक्षर .....
- नाम .....
- पता .....
- (2) हस्ताक्षर .....
- नाम .....
- पता .....

### उपाबंध-ग

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

दूरभाष क्रमांक. ....

फैक्स क्रमांक. ....

ई-मेल .....

तारीख. ....

क्रमांक .....

दियय :- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के खाते में जमा "विन्यास निधि" के लिए प्रमाण-पत्र.

संदर्भ :—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 6 (1) देखिए।

अनु- क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आज्ञाप-पत्र का संदर्भ	प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय को स्थापना का क्षेत्र (सामान्य/अभियुक्त क्षेत्र)	रकम	जमा किए गए मांगदेय दृष्ट का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

तारीख : .....

नाम एवं पदनाम .....

प्रायोजी निकाय का नाम .....

#### उपाबंध-घ

संगृहीत की गई तथा विनियामक आयोग को भेजी गई फीस का विवरण

विश्वविद्यालय का नाम .....

पता पिनकोड सहित .....

एस.टी.डी. कोड सहित दूरगण क्रमांक ..... फेबस क्रमांक .....

विवरण क्रमांक ..... वर्ष ..... ई-मेल .....

उस मास का नाम जिससे फीस संग्रहण की है .....

अनु- क्रमांक	परिसर/ अध्ययन केन्द्र का नाम	परिसर/ अध्ययन केन्द्र का पता	पाठ्यक्रम का नाम	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	प्रतिमाह फीस की दर	संगृहीत की गई कुल फीस	कॉलम संख्या 7 का 1 प्रतिशत	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

कॉलम (7) का योग : रुपए (अंकों में) ..... रुपए (शब्दों में) .....

कॉलम (8) का योग : रुपए (अंकों में) ..... रुपए (शब्दों में) .....



(1) मांगदेय ड्राफ्ट जारी करने वाली बैंक का नाम, उसकी शाखा सहित जिसने मांगदेय ड्राफ्ट जारी किया है .....

(2) मांगदेय ड्राफ्ट क्रमांक .....

(3) मांगदेय ड्राफ्ट जारी करने की तारीख .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि फीस संग्रहण का विवरण हमारे द्वारा यहां सत्यापित किया गया है और सही है.

तारीख : .....

कुल सचिव

मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी

स्पष्टीकरण टिप्पण :—(1) कॉलम क्रमांक (4) : उस कार्यक्रम के नाम का उल्लेख करें जिसके लिए विद्यार्थियों से फीस संग्रहीत की गई है:

(2) कॉलम क्रमांक (6) : "फीस" से अभिप्रेत है विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा संग्रहीत की गई फीस चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, किन्तु जो प्रतिदाय नहीं है.

#### उपाबंध-ड

#### मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

दूरभाष क्रमांक .....

फैक्स क्रमांक .....

ई-मेल .....

तारीख .....

क्रमांक .....

विषय:—मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में जमा की गई फीस का विवरण

#### कोषालय में जमा की गई फीस का विवरण

अनु- क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	उस मास का नाम जिसमें फीस संग्रहीत की गई है	विवरण क्रमांक तथा वर्ष	रकम	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

कॉलम 5 का योग : रुपए ..... (अंकों में) रुपए ..... (शब्दों में).

(1) भुगतान करने वाले का नाम : मध्यप्रदेश शासन, भोपाल .....

(2) वह शीर्ष जिसके अधीन रकम राज्य की संचित निधि में जमा की गई है .....

- (3) फोपालय का नाम, जिसमें रकम जमा की गई है .....
- (4) पाने वाले के ज्ञाते में देय चेक का क्रमांक .....
- (5) चेक जारी करने की तारीख .....
- (6) बैंक का नाम जिस पर चेक आहरित किया गया है .....
- (7) विनियामक आयोग के उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसने चेक पर हस्ताक्षर किए हैं .....

(1) हस्ताक्षर ..... (2) हस्ताक्षर .....

पदनाम ..... पदनाम .....

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल.

**स्पष्टीकरण टिप्पण :-**कॉलम क्रमांक-4 प्रत्येक मास में संग्रहीत की गई फीस और उसे विनियामक आयोग को भेजने संबंधी जानकारी प्ररूप में अंतर्विष्ट है. प्रत्येक मास के लिए जानकारी प्ररूप में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विवरण क्रमानुसार क्रमांकित की जाएगी. निजी विश्वविद्यालय इसमें वर्ष का भी वर्णन करेगा. यह विवरण क्रमांक तथा वर्ष इस कॉलम में, विनियामक आयोग के कार्यालय में रल्लिखित किया जाना चाहिए.

### उपाबंध-च

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

दूरभाष क्रमांक.....  
फेक्स क्रमांक.....  
ई-मेल.....  
तारीख.....

क्रमांक.....

विषय.— मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में बगा दाण्डिक व्याज का विवरण.

अनु- क्रमांक	निश्वविद्यालय का नाम	विनियामक आयोग की संकल्प संख्या दाण्डिक व्याज अधिरूपित तथा संग्रह करने का सशक्तकरण	रकम	अभियुक्तिपां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कॉलम (4) का योग : रुपए ..... (अंकों में) रुपए ..... (शब्दों में).

(1) पाने वाले का नाम : मध्यप्रदेश शासन, भोपाल .....

- (2) वह शीर्ष जिसके अधीन राज्य की संचित निधि में रकम जमा की जाती है .....
- (3) कोषालय का नाम, जिसमें रकम जमा की गई है .....
- (4) पाने वाले के खाते में देय चेक का क्रमांक .....
- (5) चेक प्राप्ति की तारीख .....
- (6) बैंक का नाम जिसमें चेक अंकित होना है .....
- (7) चेक पर हस्ताक्षर करने वाले विनियामक आयोग के अधिकारी का नाम और पदनाम .....

(1) हस्ताक्षर तथा पदनाम (2) हस्ताक्षर तथा पदनाम

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल.

R No. 1016-CC-07-XXXVIII.— In exercise of powers conferred by sub. Section (1) of Section 42 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called "Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Rules, 2008"

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official "Gazette"

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise require,—

- (a) "Act" means Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007),
- (b) "Commission" means the Regulatory Commission established under Section 36;
- (c) "Higher Education Department" means the Higher Education Department, of Government of Madhya Pradesh;
- (d) "Private University" means the Private Universities incorporated under the Act;
- (e) "Regulation" means the regulation made under the provisions of the Act; (f) "Sponsoring Body" means the sponsoring body as defined in clause (za) of Section 2;
- (g) "State" means the State of Madhya Pradesh;
- (h) "Visitor" means the visitor of the private universities as defined in clause (zi) of Section 21
- (i) "Words and Expression" used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Application for Establishment.—(1) Sponsoring body intending to establish a private university shall submit the application for establishment of the private university in prescribed form as an Annexure "A" to the Regulatory Commission.

(2) Application shall be signed by the person authorized to authenticate instruments on behalf of the sponsoring body.

10/19]

MADHYA PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION

(3) Application fee of Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lac Only) shall be sent along with application through a crossed account payee draft in the name of the "Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission" payable at Bhopal.

(4) Application for the establishment of the Private University shall be accompanied by a Project Report.

(5) Application submitted by the sponsoring body shall be duly acknowledged by the Regulatory Commission.

4. Establishment of Endowment Fund.—(1) Sponsoring body intending to establish Private University shall establish an Endowment Fund after receiving the letter of intent as provided under sub-section (2) of Section 6 of the Act in accordance with the provisions of Section 11 of the Act.

(2) The Endowment fund shall be deposited in the fund of the Regulatory Commission under the signature of sponsoring body through crossed account payee draft in the name of the "Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya Regulatory Commission" payable at Bhopal in form as prescribed in Annexure "B" and shall issue a certificate of receipt by the Commission in form as prescribed in Annexure "C".

5. Investment of Endowment Fund.—(1) The Regulatory Commission shall invest the Endowment Fund in the form of fixed deposit in some Scheduled Bank, keeping in view of the various parameters for ensuring liquidity, security and profitability of the funds.

(2) Proceeds from the investment shall be utilised by the commission for performing its function.

6. Income from Endowment Fund.—(1) The Regulatory Commission shall pay to the Sponsoring body interest on the amount of the Endowment Fund at the rate at which the State Bank of India pay the interest, during the period under consideration, on the Savings Bank Account.

(2) Income from the Endowment fund shall be deposited in a joint Savings Bank Account opened in a Scheduled Commercial Bank. Joint Account shall be in the name of the sponsoring body and "Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission."

(3) Incomes from the Endowment Fund shall not be invested in any business connected directly or indirectly with the sponsoring body. This income shall be used only for the development of the University.

7. Forfeiture of Endowment Fund.—(1) On the report of the commission or otherwise. If the State Government is satisfied that such a situation has arisen that it has to discharge its responsibility according to provisions of Section 40 or 41 of the Act. It shall issue a show cause notice to the sponsoring body of the concerned private university for forfeiture of a part or whole of the Endowment Fund along with the income on this endowment fund, if any, for implementing the provisions of sub-section (2) of Section 11 of the Act.

(2) Sponsoring body shall reply the show cause notice for forfeiture of the endowment fund within 45 days of its receipt.

(3) After receipt of notice if Sponsoring body fails to reply within prescribed period, Commission may recommend to the State Government for permission to forfeit the endowment fund and after obtaining permission, the endowment fund shall be forfeited and credited in the Government Account under the head 01-General Education(1) "0202-Education, Sports, Art and Culture (103):University and Higher Education (0662)"

8. Refund of Endowment fund and its Income.—(1) If the Sponsoring body propose to dissolve or de-establish the private university established under the provisions of the Act due to any reasons or circumstances beyond its control, the sponsoring body shall have to ensure that no student admitted in the University shall be adversely affected. The sponsoring body shall also submit to the Regulatory Commission a complete plan for completion of the courses, conduct of examination and on that basis awarding Degree, Diploma, Certificate, etc. to the students studying in the University. On being fully satisfied that the Sponsoring body has completed its responsibilities towards the students according to the plans so submitted, the Regulatory Commission shall ask the sponsoring body to submit an affidavit stating therein that

the sponsoring body does not bear any liabilities due to State Government, Students, and Employees of the University or any other person. On receiving, the Affidavit, Regulatory Commission shall examine the facts stated therein. After being satisfied that the facts given in the Affidavit are true, Regulatory Commission shall return the Endowment Fund and income therefrom if any, to the sponsoring body.

(2) Regulatory Commission shall examine the affidavit submitted by the Sponsoring Body and in case of disagreement with the facts mentioned in the affidavit, Regulatory Commission shall return such a portion of the Endowment Fund and income therefrom, if any, as it considers proper, and it will not return the same till it is fully satisfied that the sponsoring body does not bear any due liabilities to the State Government, students or employees of the private university, and that the arrangements have been made for completion of the courses, conduct of examination and on that basis awarding of degree, diploma and certificate, etc. to the students studying in the Private University:

Provided that where the amount of Endowment Fund has been deposited in the Fund of the Regulatory Commission by a Sponsoring Body with an intention to start a Private University after receiving letter of intent, as per sub-section (2) of Section 6 of the Act, and where the Regulatory Commission is satisfied as per Section 8 of the Act, that the proposal to establish a Private University can not be approved by it for the reasons to be recorded in writing and thus is not in a position to advise the State Government to issue a Notification for establishment of the Private University under sub-section (1) of Section 9 of the Act, the Regulatory Commission shall refund the amount of Endowment fund and income therefrom, if any, to the sponsoring body.

9. Procedure for fees deposit.—(1) Every Private University shall deposit the portion of the fees collected from the student due under the Provisions of Section 12 of the Act through a crossed Account Payee Bank Draft/Banker's cheque in the name of "Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission" payable at Bhopal in the prescribed form as prescribed in Annexure-D.

(2) Regulatory Commission shall credit the amount of fees received from the private universities within 15 days in the Treasury under the head 01-General education (1 "0202-Education, Sports, Art and Culture, 103-University and Higher Education (0662) receipt from private universities" and information shall be kept in form as prescribed in Annexur-E and a copy of the same be transmitted to sponsoring body.

(3) Information with regard to fees collected from the Private Universities under the provisions of these rules and deposited in Government Treasury, and penal interest, if any, imposed and deposited in the Government Treasury, and other relevant information in this regard for every financial year shall be maintained in the office of the Regulatory Commission, Penal interest information shall be kept in the form as prescribed in Annexure-I.

10. Establishment of the Regulatory Commission.—(1) Private Universities Regulatory Commission shall function in accordance with the provisions of the Act and Rules made thereunder.

(2) The Head Office of the Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission shall be at Bhopal.

11. Functions of the Regulatory Commission.—(1) The Regulatory Commission shall perform all functions as laid down in sub-section (8) of Section 36 of the Act as well as such other functions as it may deem fit to achieve the objectives laid down in sub-section (1) of Section 36 of the Act.

(2) Any other such matter concerning the Private Universities and Private Institutions of Higher Education which may be referred to it by the State Government.

12. Power to make Regulations.—(1) The Commission shall lay down the procedures for performance of its functions and for administration and management of the Commission in the form of Regulations.

(2) Till regulations are made as provided in these rules, the Regulatory Commission may adopt such procedure for the purpose of administration and management of the Commission, or rules made by the State Government in this behalf or may make such procedure as it may deem fit.

13. General Control of Visitor.—(1) The Regulatory Commission shall function under the general control of the Visitor.

(2) The Visitor in performance of his duties of general control of the Regulatory Commission may call for any paper or information relating to the affairs of the Regulatory Commission for reasons to be recorded thereon, by an order in writing, give such directions to the Regulatory Commission on that basis.

(3) The Visitor may before issuing any direction, call comments of the Commission and may also direct for personal presentation on any matter before giving any direction.

14. Terms and conditions of Service of Chairman and Members.—(1) (a) A person appointed as Chairman or Full time Member or Part Time Member shall hold office for a term of 3 years.

(b) person who has hold office as Chairman or Member shall be eligible for further appointment for one more term.

(c) no person shall be eligible for the post of Chairman or Full Time Member or Part Time Member who has held or is holding an office with any of the Private Universities established under the Act or Private Universities established outside the State of Madhya Pradesh.

(2) No person shall hold the office after the age of 65 years.

(3) The Chairman or a Full-Time Member or a Part Time Member may resign his office by writing under his hand addressed to the visitor, and shall forward a copy of that resignation letter to the Higher Education Department.

(4) If at any time upon representation made or otherwise it appears to the Visitor that the Chairman or Member,

(a) has made default in performing any duty imposed on him by or under the Act; or

(b) has acted in manner prejudicial to the interest of the Regulatory Commission; or

(c) is incapable of managing the affairs of the Regulatory Commission, the visitor may notwithstanding the fact that the term of office has not expired, by an order in writing, recording the reasons therein, require the Chairman/Member to relinquish his office as from such date as may be specified in the order:

Provided that no such order shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Chairman and he is given reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(5) As from the date specified in the order under sub-section (4), the Chairman or Member shall be deemed to have relinquished the office and the office of the Chairman or Member shall fall vacant.

(6) If a casual vacancy occurs in the office of the Chairman or Full Time Member or Part-Time Member, whether by reason of death, resignation or otherwise, the vacancy shall be filled by a fresh appointment:

Provided that the Education Department may, in consultation with the visitor, fill any casual vacancy of the office of the chairman by appointing any full time member for not exceeding two months.

(7) During the absence of the Chairman due to leave, illness, or any other cause, the Full-Time Member nominated by the Chairman shall discharge functions and duties of the Chairman.

(8) The office of the Chairman as well as all the Full-Time Member shall be whole time and salaried one.

(9) The Full Time Members shall perform such functions as may be assigned to them by the Chairman from time to time.

(10) The Chairman shall receive a consolidated salary of Rs. 25000/- (Rupees Twenty Five thousand only) per month irrespective of the pension and pension equivalent to gratuity that may be admissible to him:

Provided that, if the Chairman is not getting any pension he shall be entitled to receive a salary as prescribed by Finance Department and dearness allowance and other allowances as admissible to class-I Officer of the State Government from time to time.

(11) The Chairman shall be entitled to free furnished residential accommodation at the Headquarters of the Regulatory Commission, maintained by the State Government or accommodation provided by the Government.

(12) The Chairman shall be provided with one Car alongwith one Driver, Telephones with STD facility in office and at his residence.

(13) The Full Time Member shall receive a consolidated salary as prescribed by Finance Department irrespective of pension and pension equivalent to gratuity that may be admissible to him:

Provided that if a Member is not getting pension then he shall be entitled for salary as prescribed by Finance Department with Dearness Allowance and other allowances admissible to class-I Officer of the State Government.

(14) The Full Time Member shall be entitled to House Rent Allowance as admissible to class-I Officer of the State Government along with Telephones with STD facility in office and at his residences.

(15) The Chairman and Full Time Members shall be entitled to 13 days casual leave and one month's earned leave/ medical, leave in one calendar year. Leave Record of the Chairman and the Full Time Member shall be kept in the office of the Regulatory Commission.

(16) During travel for the working of the Regulatory Commission or the Government the Chairman and Full Time Members of the Commission shall be entitled to Traveling Allowance and Dearness Allowance at the rates admissible and applicable to Class-I officer of the State Government and in addition to reimbursement for staying as prescribed by Finance Department.

(17) The Chairman and Full Time Members shall be entitled to such medical benefits as may be admissible to Class-I officer of the State Government or to Medi-claim in lieu thereof, as may be decided by the Education Department.

(18) The Chairman and the Full Time Members shall not receive any retirement benefits such as pension, gratuity or both from the Regulatory Commission.

(19) A Part Time Member shall be entitled to sitting fee of Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) per day and Traveling Allowance at the rates applicable to Class-I officers of the State Government and in addition to, for the period spent on duty, reimbursement for staying prescribed by Finance Department.

15. Meeting of the Commission.—(1) The Regulatory Commission shall meet at such time and place as may be decided by the Chairman.

(2) The Chairman and in his absence, senior most Full Time Member/Part Time/ Member of the Commission shall preside over the meetings of the Commission.

(3) All questions which come up before any meeting of the Commission shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting.

Provided that if, any Member is not appointed then Chairman shall decide the questions by passing Speaking Orders/ Resolutions:

Provided further that the Chairman and only one Member is present in the meeting then the decision shall be taken by Chairman by speaking orders after recording the views of the Member present in the meeting.

(4) Minutes of every meeting of the Regulatory Commission shall be recorded by one of the Full Time Members of the Commission or by an officer of the Commission authorized for the purposes by the Chairman. The minutes shall be valid by signature of the Chairman/Officer authorized by Government and shall be kept as a permanent record of the Regulatory Commission.

16. Vacancy etc. not to invalidate the proceedings of the Commission.—No act or proceedings of the Commission shall be invalidated merely by reasons of,—

- (a) Any vacancy in or any defect in the constitution of the Commission; or
- (b) Any defect in the appointment of a person acting as a Member of the Commission; or
- (c) Any irregularity in the procedure of the Commission, if not affecting the merits of the case.

17. Temporary association of persons with the Commission for particular purposes.—(1) The Regulatory Commission may associate with itself any person whose assistance or advice it may desire in carrying out any of the provisions of the Act or rules made there under.

(2) A person associated with it by the Commission under sub-rule (1) above for any purpose may be invited by the Commission to take part in the discussions relevant for the purpose, or in any meeting of the Commission in which the relevant purpose is included as an agenda item of the meeting of the Commission, but such person shall not have a right to vote at a meeting of the Commission and shall not be a member for any other purpose.

(3) A person associated with the Commission for the purpose of these rules shall be paid a sitting fee of Rs. 1000/- (Rupees One thousand only) per day and traveling allowance at the rates admissible and applicable to Class-I Officer of the State Government.

18. Authentication of Orders and other instruments of the Regulatory Commission.—(1) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary and till Secretary is appointed by the Chairman or any person authorized by the Chairman in this behalf.

(2) All other instruments issued by the Commission shall be authenticated by a signature of the Secretary and till Secretary is appointed by the Chairman or any other person of the Commission authorized in a like manner in this behalf.

19. Payment to the Commission.—The Government of Madhya Pradesh may, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Regulatory Commission in each financial year such sums as may be considered necessary for the performance of functions of the Commission under the Act.

20. Fund of the Regulatory Commission.—(1) The Regulatory Commission shall have its own Fund and all sums which may from time to time be paid by the State Government and fees collected/received from the private collage/institutions and all the receipts of the Commission (including Endowment Fund, Additional Fund any sum which any other authority or person may hand over to the Commission) shall be carried to the Fund and all payments of the Commission shall be made therefrom.

(2) All the money belonging to the Fund shall be deposited in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India, Act, 1934 (No. 2 of 1934).



(3) The Commission may spend such sum as it may think fit for performing its functions under the Act, and such sums shall be treated as an expenditure payable out of the Fund of the Regulatory Commission, the fund shall be audited every year.

21. **Budget.**—The Regulatory Commission shall prepare in such form and at such time each year as may be decided by the Commission, a budget in respect of the financial year next ensuing an estimated receipts and expenditures and copies thereof shall be forwarded to the Higher Education Department with a view to obtain due appropriation by the State Legislative Assembly and payments thereafter of appropriate sums to the Regulatory Commission shall be audited and the record of accounts shall be placed as prescribed in Rule 19.

22. **Annual Report.**—The Regulatory Commission shall prepare once in every financial year, in such form and at such time as may be decided by the Commission, an Annual Report giving true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall be forwarded to the Higher Education Department. The Higher Education Department shall cause the same to be laid before the State Legislative Assembly.

23. **Accounts and Audit.**—(1) The Regulatory Commission shall cause to be maintained such Books of Account and other accounts in relation to its accounts in such form and in such manner as may be determined by the Commission/ State Government.

(2) The Regulatory Commission shall, as soon as may be after closing its Annual Account, prepare a statement of account, in such form and by such date as the Regulatory Commission may determine.

(3) The accounts of the Regulatory Commission shall be audited by a Chartered Accountant immediately after closing of the financial year.

(4) The accounts of the Regulatory Commission as certified by the Chartered Accountant together with the Audit Report thereon shall be forwarded to the Higher Education Department and the Higher Education Department shall cause the same to be laid before the State Legislative Assembly.

24. **Staff, Accommodation and other Facilities of Regulatory Commission.**—(1) The Regulatory Commission shall appoint on deputation or otherwise such number of officers and other employees as may be necessary for the purpose of enabling it to efficiently discharge its functions under the Act or rules made thereunder.

(2) For its officers and employees, the Regulatory Commission shall take decision and accordingly acquire accommodation, equipments and other facilities as it may consider necessary.

25. **Power to remove difficulty.**—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Rules or such matters which are not covered under these rules, on the recommendation of Commission, the State Government may, by order published in the official Gazette not inconsistent with the provisions of Act, and these rules, remove such difficulty.

26. **Repeal and Savings.**—All rule corresponding to these Rules, Orders, Circulars and Resolutions, if any, and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the Rules, Orders, Circulars and Resolutions so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Rules.

## ANNEXURE-A

APPLICATION FORMAT FOR ESTABLISHMENT OF A PRIVATE  
UNIVERSITY IN THE STATE OF MADHYA PRADESH

[Under the provisions given in Section 4 of the Madhya Pradesh Private Universities  
(Sthapana Avam Sanchalan ) Adhiniya, 2007]

- (1) Details of Sponsoring Body  
(Detailed information given in section ..... of the project Report).
  - (a) Name
  - (b) Address
  - (c) Pin Code
  - (d) Telephone No. (With STD Code)
  - (e) Fax No.
  - (f) E-mail.
- (2) Particulars of registration of the sponsoring Body and its constitution and bye laws.  
(Detailed information given in section ..... of the project Report).
  - (a) The sponsoring body is a Registered Society under Madhya Pradesh Society's Registry Act, 1973 (No. 44 of 1973); or
  - (b) Is a Public Trust; or
  - (c) Is a Company Registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956).
  - (d) Whether the sponsoring body is a body which is not registered under any of the arrangements as provided under (a), (b) and (c) but is registered under another Act which is for the time being in force. If yes, give particulars of that Act.
  - (e) Attach certified copies of the Registration
  - (f) Attach Constitution and Bye-laws.
- (3) Attach certified copies of the audited accounts of the sponsoring body for the past 3 years.  
(Detailed information given in section ..... of the project Report).
- (4) Information regarding Financial resources of the sponsoring body.  
(Detailed information given in section ..... of the project Report).
- (5) Name of the proposed university.  
(Detailed information given in section ..... of the project Report).
- (6) Full address where the main campus of the proposed university to be established.  
(Detailed information given in section ..... of the project Report).

- (7) Objectives of the proposed University.  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (8) Whether proposed University would demand minority status under Article 30 of the Constitution? If yes, give details.  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (9) Whether the Main Campus of the University will be located in an area which is not a general area?  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (a) Whether the main campus of the University proposed to be established will be in a Scheduled Area? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location area is a Scheduled Area.
- (b) Whether the main campus of the University proposed to be established will be within the Municipal Corporation. If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location is within the Municipal Corporation.
- (10) Details about the land for the use of the proposed University.  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (a) Details of the land for full use of the university, if available on the date of application—
- (i) Ownership of land (with necessary proof)
- (ii) Area of land
- (iii) A map of the land
- (b) Land that will be acquired after receipt of the letter of intent,—
- (i) Ownership of land (with necessary proof)
- (ii) Area of land
- (iii) A map of the land.
- (iv) Land will be acquired from whom?
- (v) Financial arrangement for acquisition of land.
- (11) (a) Construction of buildings, development of structural amenities and present infrastructure facilities.
- (b) Plan for procurement of equipments
- (c) Outline of phase-wise programme for the coming 5 years.
- (12) Details of phased outlays of Capital Expenditure proposed for 5 years and its sources of finance.  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report).

- (13) Nature of faculties (Name)  
(Detailed information given in section ..... of the project Report).
- (a) Names of faculties like Science, Arts, Commerce, law, professional Education etc.
  - (b) Courses under each faculty like graduate, post-graduate etc.
  - (c) Relevance of each course in the context of development of the State.
  - (d) Targeted students strength in each course
  - (e) Proposed phased programmes for courses for next 5 years,
  - (f) For each course, give information whether for starting it, prior approval from Central Regulatory Body or/and State Regulatory Body is necessary. If yes, give details of the same.
- If prior approval has not been obtained, give details mentioning the provision under which Central/State Act, prior permission is necessary.
- (14) Experience and experies, (if any), in the concerned disciplines at the command of the Sponsoring Body.  
(Detailed information given in section ..... of the project Report).
- (15) Availability of academic facilities required for the courses of study and reserach.  
(Detailed information given in section ..... of the project Report).
- (a) Teaching Staff
  - (b) Technical and Non-technical staff
  - (c) Equipments and laboratories.
- (16) Details about the expenditure on each of the proposed courses.  
(Detailed information given in section ..... of the project Report).
- (a) Estimate of recurring expenditure
  - (b) Sources of finance
  - (c) Estimated expenditure per student.
- (17) Scheme for mobilizing resources  
(Detailed information given in section ..... of the project Report).
- (a) Cost of capital
  - (b) Manner of repayment.
- (18) Scheme for generation of funds internally from various sources.  
(Detailed information given in section ..... of the project Report).
- (a) Fee from Students
  - (b) Consultancy Services
  - (c) Other activities relating to the objects of the private university.

- (19) Proposed fee structure for different courses, concessions, and Scholar-ships  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report)
- (a) For General Category  
(b) For economically weaker sections  
(c) For Scheduled Castes Scheduled Tribes and O.B.C.
- (20) System proposed to be followed for admissions to the courses of study.  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (21) System proposed to be followed for appointment of Teachers and other Employees  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (22) Mode of imparting education  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (a) Conventional Method  
(b) Distance Education Method  
(c) Both, as above.
- (23) In case Distance Education is proposed, then names of the proposed study centers and their details  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (24) Details of programmes related to local needs, nature of the specialized teaching, training and research activities  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report):
- (25) Programmes for the benefit of Farmers, Women and Industries especially located in this State.  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (26) Available or/proposed other facilities:—  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (a) Hostel facility for the students (Boys/Girls)  
(b) Play grounds  
(c) National Cadet Corps, Scouts and Guides, National Service Scheme etc.
- (27) Details of the proposed campus in the Scheduled areas of the State.  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (28) Justification for the necessity of establishing the proposed Private University  
(Detailed information given in section . . . . . of the project Report).
- (29) If the Sponsoring Body had established erstwhile university, then full details giving number and date of the notification regarding establishment and serial number in the Schedule-1 of the earlier act.

Also mention whether endowment fund or/and additional fund was deposited or is in deposit? If yes, then give full particulars with proof. (Detailed information given in section . . . . . of the project Report).

- (30) Details of application fee (mention):—  
(Detailed information given in section : . . . . . of the project Report).
- (a) Amount in the crossed account payee demand draft.
  - (b) Name of the bank which has issued the demand draft.
  - (c) Date and Number of the demand draft.
  - (d) Mention the name of the Sponsoring Body and the name of the proposed University on the back of the Demand Draft.

The above application for establishment of . . . . . (mention name of the proposed University) under the provisions of Madhya Pradesh Private Universities, (Sthapana Avam Sanchalan) Act, 2007 (No. 17 of 2007) is submitted hereby on behalf of . . . . . (name of the Sponsoring Body). Detailed particulars of every point of this application is given in the Project Report Detailed information may be seen in the Sections of the Project Report referred at every point.

I certify that:—

- (a) I am authorized to submit the application on behalf of the Sponsoring Body,—  
 . . . . . (name of the Sponsoring Body).
- (b) The Sponsoring Body has Resolved to establish a Private University by name of . . . . . and to follow in this connection all provisions made in the Madhya Pradesh Private Universities Act, 2007 (NO. 17 of 2007) and such other rules as the State Government may make in this behalf, and has also Resolved to follow the instructions that will be issued by the Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission from time to time (Attach a copy of the Resolution as Annexure).

Signature

Place :

Date :

Name and Designation  
Name of Sponsoring Body

Signature, name and address of 2 Witnesses:—

- (1) Signature  
Name  
Address
- (2) Signature  
Name  
Address

**Explanatory note for submitting application for establishment of a Private University.—**(1) Before applying for establishment of a University in the State of Madhya Pradesh in Private Sector, please read carefully the provisions made in the Madhya Pradesh Private Universities (Sthapana Avam Sanchalan) Act, (No. 17 of 2007).

(2) The copy of the Act and the Rules can be obtained by any person from the Office of the Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission, Bhopal by producing a crossed Account Payee draft for Rs. 1000/- or by post by sending a crossed Account Payee draft for Rs. 1050/- in the name of the "Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission" payable in Bhopal.

(3) The Sponsoring Body or its Representative can seek guidance with regard to the establishment of the University from the Regulatory Commission, Guidance session shall be arranged only after determining the time.

#### ANNEXURE-B

#### APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF ENDOWMENT FUND

To,

Chairman,  
Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission,  
Bhopal.

- (1) Details of Sponsoring Body
  - (a) Name
  - (b) Address
  - (c) Pin code
  - (d) Telephone No. (with STD Code)
  - (e) Fax No.
  - (f) E-mail
- (2) Name of the proposed private university
- (3) Full address where the main campus of the proposed private University is to be established.
- (4) Location of main campus of the private university.
  - (a) Whether the main campus of the university proposed to be established will be established in a scheduled area? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location area is a scheduled area.
  - (b) Whether the main campus of the university proposed to be established will be within the Municipal Corporation Limits of Bhopal? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location is within the Municipal Corporation Limits of Bhopal.

- (5) Details of the endowment fund of the erstwhile university (mention)\*
- (a) Name of the erstwhile university
  - (b) Name of the sponsoring body of the erstwhile university
  - (c) Notification number and date under which erstwhile university was established.
  - (d) Serial number in schedule-I of the earlier Act of the erstwhile university.
  - (e) Whether main campus of the erstwhile university was established in the schedule area?
  - (f) Amount of Endowment fund of the erstwhile university which is in deposit with the regulatory commission. (give proof by attaching a photo copy of the Bank pay-in-Slip).
  - (g) Net amount of the endowment fund that the sponsoring body proposes to deposit after adjusting the endowment fund of the erstwhile university, as provided in proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 11 of the Act.

\*This information is to be furnished only by those sponsoring bodies which had established erstwhile university. Other sponsoring bodies may furnish Nil here.

- (6) Details of Endowment Fund (mention).
- (a) Amount of Endowment Fund.
  - (b) Bank Draft Number, full particulars about the name of the Bank including its Branch name, Branch Number and Branch Code which has issued the Bank Draft.
  - (c) Date of Issue of Bank Draft.
  - (d) Name and Designation of the person who has sent the amount of the Endowment Fund on behalf of the Sponsoring Body.
  - (e) On the back of the Demand Draft, mention the name of the Sponsoring Body and the name of the proposed university.
- (7) Proof of opening the savings Bank Account in the name of Sponsoring Body for depositing income from Endowment Fund.
- (a) Name of the Scheduled Bank and its branch in which the savings bank account has been opened.
  - (b) Amount with which the savings bank account has been opened. Attach attested photo copy of deposit slip issued by the bank as annexure.
  - (c) name and Designation of the person who will operate the savings bank account on behalf of the sponsoring body.
  - (d) Savings bank account number and the date of establishment of this account.



- (8) Details of letter of intent (mention)
- (a) Number and date of issue
- (b) Date of receiving by the sponsoring body.
- (c) Attach a photo copy of letter of intent.
- (9) Any other information that the sponsoring body would like to provide or any request that the sponsoring body would like to make in the context of the establishment of the Endowment Fund.

The above application for establishment of endowment fund for ..... (mention name of the proposed University) under the provisions of Madhya Pradesh Private Universities (Sthapana Avam Sanchalan) Act, 2007 (No. 17 of 2007) is submitted hereby on behalf of the ..... (name of the sponsoring body).

I certify that:—

- (a) I am authorized to submit the application for establishment of the endowment fund on behalf of the ..... (name of the Sponsoring body).
- (b) The Sponsoring Body has resolved to establish a Private University by name of ..... and to deposit Rs. .... (Rupees. ....) as endowment fund and to follow in this connection all provisions made in the Madhya Pradesh Private Universities (Sthapana Avam Sanchalan) Act, (NO. 17 of 2007) and such other rules as the State Government may make in this behalf, and has also Resolved to follow the instructions that will be issued by the Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission from time to time (Attach a copy of the Resolution as Annexure).

Signature .....

Place :

Name and Designation .....

Date :

Name of Sponsoring Body .....

Signature, name and address of 2 Witnesses:—

- (1) Signature .....
- Name .....
- Address .....
- (2) Signature .....
- Name .....
- Address .....

#### ANNEXURE-C

MADHYA PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Phone No. ....

Fax No. ....

E-mail .....

Date .....

10 (13)

मध्य प्रदेश विद्यापीठ, कॉलेज व संशोधन आयोग

No. ....

**Sub.—**Certificate for the "Jindowment Fund" deposited in the Account of Madhya Pradesh Private Universities Regulatory Commission, Bhopal.

**Ref.—**See Section 6 of the Madhya Pradesh Private Universities (Sthapana Avam Sanchalan) Act, 2007.

Sl. No.	Name of the University	Reference of letter of intent issued by Higher Education Department, Govt. of Madhya Pradesh	Area of the establishment of proposed private university (General/ Scheduled Area)	Amount	Particulars of Demand Draft deposited
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Place :

Signature .....

Date :

Name and Designation. ....

Name of Sponsoring Body (with seal)

## ANNEXURE-D

## STATEMENT OF FEES COLLECTED AND SENT TO THE REGULATORY COMMISSION

Name of the University .....

Address with Pin Code .....

Phone No. with STD code .....

Statement No. .... Year .....

Fax No. ....

E-mail .....

Name of the month for which the fee collection relates .....

Sl. No.	Name of the Campus/ Study Center	Address of Campus/ study center	Name of course	Number of enrolled students	Rate of fees per month	Total fees collected	1% column No. (7)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Total of column (7): Rs. .... (in figures) Rs. .... (in words)

Total of column (8): Rs. .... (in figures) Rs. .... (in words)

- (1) Name of the bank along with its branch which has issued the Demand Draft .....
- (2) Demand Draft No. ....
- (3) Date of issue of Demand Draft .....

Certified that the statement of fees collection as given here is verified by us and is correct.

Date : .....

Registrar

Chief Finance & Accounts Officer

Explanatory Note.—(1) Column No. (4) for which the Mention name of the course for which the fee is collected from the student.

(2) Column No. (6) "Fees means" collection made by the university from the students by whatever name it may be called but which is not refundable.

ANNEXURE-E

MADHYA PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Phone No. ....

Fax No. ....

E-Mail .....

Date .....

No. ....

Sub.—Statement of fees credited to the consolidated fund of the State of Madhya Pradesh.

Statement of Fee Amount Deposited in Treasury

Sl. No.	Name of the University	Month in which fees was collected	Statement Number and year	Amount	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Total of column 5 : Rs. .... (in figures) Rs. .... (in words)

- (1) Name of payee : Government of Madhya Pradesh, Bhopal .....
- (2) Head under which the amount is to be credited in the consolidated fund of the State .....
- (3) Name of the Treasury in which amount is deposited .....
- (4) No. of Account payee cheque .....
- (5) Date of issue of cheque .....

मध्य प्रदेश विश्वविद्यालयों के निजी विश्वविद्यालयों के लिए

- (6) Name of the bank on which the cheque is drawn .....
- (7) Name and designation of the officer of Regulatory Commission signing the Cheque .....

(1) Signature ..... (2) Signature .....  
 Designation ..... Designation .....  
 Madhya Pradesh Private University  
 Regulatory Commission, Bhopal.

**Explanatory Note.**—(1) Columns No. (4) : Information about the fees collected in each month and sent to the Regulatory Commission is contained in the Form : Information for every month in the Form shall be numbered by the Concerned University as Statement Number. Private University shall also mention the year. This statement number and year should be mentioned in this column in the office of the Regulatory Commission 7.

**ANNEXURE-F**  
**MADHYA PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION, BHOPAL**

Phone No. ....  
 Fax No. ....  
 E-Mail .....  
 Date .....

No. ....

Sub.—Statement of Penal interest credited to the consolidated fund of the State of Madhya Pradesh.

Sl. No.	Name of the University	Resolution Number of the Regulatory Commission empowering to impose and collect the penal interest	Amount	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total of column (4) : Rs. .... (In figures) Rs. .... (in words)

- (1) Name of Payee : Government of Madhya Pradesh, Bhopal .....
- (2) Head under which the amount is to be credited in the consolidated fund of the State .....
- (3) Name of the Treasury in which amount is deposited .....
- (4) No. of Account Payee Cheque .....
- (5) Date of issue of Cheque .....
- (6) Name of the bank on which the cheque is drawn .....
- (7) Name and designation of the Officer of the Regulatory Commission signing the Cheque .....

(1) Signature and ..... (2) Signature and .....  
 Designation ..... Designation .....  
 Madhya Pradesh Private University  
 Regulatory Commission, Bhopal.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 स्नेहलता श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.